



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 23 जून, 2025 / 02 आषाढ़, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—09, 19 जून, 2025

सं0 पीसीएच-एचए (3)30/07-I/636325/25.—इस विभाग की समसर्व्यक अधिसूचना दिनांक 24-04-2025 जिसे दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है के अन्तर्गत, जिला 61-राजपत्र / 2025-23-06-2025 (2963)

हमीरपुर के विकास खण्ड भोरंज की "ग्राम सभा मनवीं" का नाम बदलकर "लगमनवीं" करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर के प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला हमीरपुर के विकास खण्ड भोरंज की ग्राम सभा 'मनवीं' का नाम बदलकर "लगमनवीं" करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला—09, 19 जून, 2025

संख्या: पीसीएच—एचए (3) 36/96-1/636326/2025.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-12-2024, जिसके अन्तर्गत विकास खण्ड बिङडी की ग्राम सभा बणी के क्षेत्र को नगर पंचायत बड़सर में सम्मिलित होने के फलस्वरूप अपवर्जित किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए की ग्राम सभा बणी का सभा क्षेत्र न रहने तथा अनुसूची के कॉलम नं० 2 क्र० सं० 4 में आंशिक के स्थान पर पूर्णतः अधिसूचित करने के आदेश प्रदान किए जाते हैं।

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—09, 17 जून, 2025

सं० पीसीएच—एचए (1)3/2024-7295-7304.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच—एचए(1)3/2024-5773-5804, दिनांक 09-05-2025 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित उपरोक्त अनुसार जारी अधिसूचना में वर्णित ग्राम सभा टट्वाली, मैरा और घलौर की प्रस्तावना को निरस्त करने तथा निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम/ ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

1. विकास खण्ड फतेहपुर

1.	डक	1. सोहर 2. डक 3. दाहब	1. सोहर	गुरियाल	1. गुरियाल 2. गारन 3. धनेटी चरूड़ीयां 4. ठठर 5. सोहर	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'डक' में रहेंगे।
2.	मच्छोट	1. मच्छोट 2. भवरोली 3. खोडला 4. घायथ 5. जलाल 6. धनूणा 7. जमलूही 8. उतकरिया	1. घायथ 2. जलाल	लुठियाल	1. लुठियाल 2. कफनाली 3. जौली 4. बडाल 5. रतियाड 6. कलियाल 7. घायथ 8. जलाल	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'मच्छोट' में रहेंगे।

2. विकास खण्ड सुराणी

3.	गाहलियां	1. गाहलियां 2. चकबन दोदरू 3. जट्मा 4. बल्ला 5. भगौर 6. रक्खल्लाहर	1. जट्मा	घलौर	1. अपर घलौर 2. खास घलौर 3. बहन्कला 4. सासन 5. कुम्भकर 6. कस्टी 7. चुरढू 8. पलाही 9. बल्लिया 10. रजोल पलाही	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'गाहलियां' में रहेंगे।
----	----------	--	----------	------	---	---

					11. रोहाडा 12. जट्टमा	
4.	जखोटा	1. गुरेहड 2. जखोटा 3. डीगगर 4. बोहन खालसा 5. बोहन जगीर 6. सासन	1. डीगगर	घूरकाल	1. अम्बोदू 2. घूरकाल 3. डीगगर	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'जखोटा' में रहेंगे।
5.	गुम्मर	1. गुम्मेर-2 2. गुम्मेर-3 3. गुम्मेर-4 4. गुम्मेर-5 5. रिजर्व जंगल कालीधार 6. चकवन का लीधर-1	1. चकवन का लीधर-1	बग	1. कोका 2. नाहली 3. पतरेली 4. बग्गी 5. चकवन का लीधर-1	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'गुम्मर' में रहेंगे।
6.	उम्मर	1. उम्मर 2. डोल 3. बुनी गुजरा 4. शांतला 5. हटली	1. शांतला 2. हटली	गुम्मर	1. गुम्मेर-2 2. गुम्मेर-3 3. गुम्मेर-4 4. गुम्मेर-5 5. रिजर्व जंगल कालीधार 6. शांतला 7. हटली	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'उम्मर' में रहेंगे।
7.	बारीकलां	1. कोरली 2. घरवेहड 3. तुली 4. धारचौकी 5. नरघोटा 6. मरहेड 7. रामनगर 8. लाहड 9. वनगल 10. वार कलां 11. वार खुर्द 12. संगयाड	1. वनगल 2. संगयाड	थिल	1. करेड 2. चलोई 3. जमलेहड 4. थाती 5. थिल 6. फरेडा 7. बडोरकड 8. भडोली 9. भार्मिदयार 10. भला डकलां 11. भलाड खुर्द 12. रीडी 13. लटेहड 14. लोहारकड 15. सरारकड 16. वनगल 17. संगयाड	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'बारी कलां' में रहेंगे।
8.	खुन्डिया	1. अम्बाडा 2. कुटाहण 3. कदेहड	1. कदेहड 2. घरलाहड 3. टौरु	बारी कलां	1. कोरली 2. घरवेहड 3. तुली	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम

		4. कराल 5. किहड़ी 6. घरलाहड़ 7. झलौट 8. टिपनाला 9. टौरु 10. बरवाला 11. भटलाहड़ 12. रकेहड़ 13. सिल्ह	4. बरवाला 5. रकेहड़		4. धारचौकी 5. नरघोटा 6. मरहेड़ 7. रामनगर 8. लाहड़ 9. वार कलां 10. वार खुर्द 11. कदेहड़ 12. घरलाहड़ 13. टौरु 14. बरवाला 15. रकेहड़	को छोड़कर कोष्ठ संख्या—3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'खुन्डिया' में रहेंगे।
3. विकास खण्ड लम्बा गांव						
9.	मुंगल	1. नागपुरी 2. मुंगल 3. राणानगर 4. गुहन 5. रामनगर 6. डलियाणा 7. अम्बलटप्पा	1. रामनगर	हलेड़	1. डलू 2. हलेड़ 3. रामनगर	कोष्ठ संख्या—4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या—3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'मुंगल' में रहेंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—09, 17 जून, 2025

सं0 पीसीएच—एचए (1)3/2024—7315—23.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच—एचए(1)3/2024—5762—72, दिनांक 09—05—2025 के अन्तर्गत, जिला बिलासपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी प्राप्त आक्षेपो/सुझावो प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या—2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या—2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं—4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या—5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

1. विकास खण्ड घुमारवीं

1.	हम्बोट	1. बणीपंडता 2. सौंखर 3. कुरनाड़ी 4. हम्बोट 5. जंदोट	1. बणीपंडता	बम्म	1. कोटलू 2. बम्म 3. बणीपंडता	कोष्ठ संख्या—4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या—3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'हम्बोट' में रहेंगे।
----	--------	---	-------------	------	------------------------------------	---

2. विकास खण्ड श्रीनैनादेवी जी

2.	सलोआ	1. सलोआ 2. रछोह 3. खाल 4. घटेवाल 5. डडोह 6. मलेटा 7. बैरिवाला	1. डडोह 2. मलेटा 3. बैरिवाला	1. खरकड़ी	1. भटेड़ 2. कनफारा 3. चिल्ट 4. खरकड़ी 5. डडोह 6. मलेटा 7. बैरिवाला	कोष्ठ संख्या—4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या—3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'सलोआ' में रहेंगे।
----	------	---	------------------------------------	-----------	--	---

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग**अधिसूचना**

शिमला—09, 17 जून, 2025

सं0 पीसीएच—एचए (1)3/2024—7305—14.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच—एचए(1)3/2024—5722—36, दिनांक 09—05—2025 के अन्तर्गत, जिला मण्डी में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला मण्डी को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित उपरोक्त अनुसार जारी अधिसूचना में वर्णित ग्राम सभा बाता—री—बिंहू की प्रस्तावना को निरस्त करने तथा निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या—2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या—2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं-0—4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या—5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

1. विकास खण्ड गोपालपुर

1.	धनालग	1. नाहरला 2. मंझियाठ 3. डीपीएफ सीड्डकोट 4. धनालग 5. मुकाम 6. चौर्ही 7. सरनोटा 8. बल्हडा 9. डीपीएफ सिकन्दरा	1. नाहरला	चौक	1. कसमली 2. चमराहणी 3. चौक 4. अन्धराड़ा 5. करढवाण 6. तुमराहण 7. तलवार 8. हरवाण 9. डोह 10. नाहरला	कोष्ठ संख्या—4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या—3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'धनालग' में रहेंगे।
----	-------	--	-----------	-----	---	--

2. विकास खण्ड सदर एवं बल्ह

2.	मझवाड़	1. चतरोट 2. मझवाड़ 3. कठेहड़ 4. ढम्याण 5. सायरी 6. मसेरन 7. गिहुला 8. झड़वांस 9. अयाला 10. डीपीएफ निहालग 11. डीपीएफ रिउनटी 12. डीपीएफ लंगवार	1. झंडवास	भड़याल	1. भुरयाल 2. टिकर 3. मलवाना 4. झंडवास	कोष्ठ संख्या—4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या—3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'मझवाड़' में रहेंगे।
----	--------	---	-----------	--------	--	---

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

ब मुकद्दमा : श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राज कुमार, निवासी गांव सिहड़ा, डाकघर बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

व

श्रीमती सक्षम कौड़ल पुत्री श्री रतन लाल, निवासी गांव हुक्कल, डाकघर लौंगनी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि०प्र० प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राज कुमार, निवासी गांव सिहड़ा, डाकघर बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) व श्रीमती सक्षम कौड़ल पुत्री श्री रतन लाल, निवासी गांव हुक्कल, डाकघर लौंगनी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि०प्र० ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 21—01—2025 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीत—रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत सिहड़ा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 21—01—2025 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26—06—2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राज कुमार, निवासी गांव सिहड़ा, डाकघर बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) व श्रीमती सक्षम कौड़ल पुत्री श्री रतन लाल, निवासी गांव हुक्कल, डाकघर लौंगनी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि०प्र० के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत सिहड़ा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप—मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Priya Kumari d/o Sh. Uttam Chand, r/o Village & P.O. Hadsar, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Registration of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Priya Kumari d/o Sh. Uttam Chand, r/o Village & P.O. Hadsar, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of herself i.e. 06-12-2000 for further entry in the records of Gram Panchayat Hadsar, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sr. No.	Name	Date of Birth
1.	Priya Kumari d/o Sh. Uttam Chand	06-12-2000

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in the record of concerned Gram Panchayat Hadsar may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, Failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 27th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Gopal Singh s/o Sh. Pritthu Ram, r/o Village Kuthar, P.O. Badgran, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Registration of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Gopal Singh s/o Sh. Pritthu Ram, r/o Village Kuthar, P.O. Badgran, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of his son i.e. 07-08-2018 for further entry in the records of Gram Panchayat Badgran, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sr. No.	Name	Date of Birth
1.	Ayush Kumar s/o Gopal Singh	07-08-2018

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in the record of concerned Gram Panchayat Badgran may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, Failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 27th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Manju Devi d/o Sh. Jassol, r/o Village Silpari, P.O. Tunda, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas Manju Devi d/o Sh. Jassol, r/o Village Silpari, P.O. Tunda, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of herself i.e. 20-03-1987 for further entry in the records of Gram Panchayat Tunda, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sr. No.	Name	Date of Birth
1.	Manju Devi d/o Sh. Jassol	20-03-1987

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in the record of concerned Gram Panchayat Tunda may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, Failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 27th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Nisha d/o Sarnu, r/o Village Jagat, P.O. Ranuhkothi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas Nisha d/o Sarnu, r/o Village Jagat, P.O. Ranuhkothi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of herself *i.e.* 11-10-1987 for further entry in the records of Gram Panchayat Jagat, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sr. No.	Name	Date of Birth
1.	Nisha d/o Sarnu	11-10-1987

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in the record of concerned Gram Panchayat Jagat may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, Failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 27th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Ravindra d/o Om Parkash, r/o Village Raitan, P.O. Siur, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . . *Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas Ravindra d/o Om Parkash, r/o Village Raitan, P.O. Siur, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of herself *i.e.* 16-03-1982 for further entry in the records of Gram Panchayat Siur, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sr. No.	Name	Date of Birth
1.	Ravindra d/o Om Parkash	16-03-1982

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in the record of concerned Gram Panchayat Siur may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 9th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Chaman Lal s/o Gopi, r/o Village Langhota, P.O. Jagat, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . . *Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas Chaman Lal s/o Gopi, r/o Village Langhota, P.O. Jagat, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of himself i.e. 07-09-1969 for further entry in the records of Gram Panchayat Jagat, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sr. No.	Name	Date of Birth
1.	Chaman Lal s/o Gopi	07-09-1969

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in the record of concerned Gram Panchayat Jagat may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 13th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Pawan Kumar s/o Ranjha Ram s/o Rama Ram, r/o Village Fanar, P.O. Gharer, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . . *Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas Ranjha Ram s/o Rama Ram, r/o Village Fanar, P.O. Gharer, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed death of his father i.e. 03-12-2003 for further entry in the records of Gram Panchayat Greema, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances death could not be registered well in time.

Sr. No.	Name	Date of Death
1.	Ranjha Ram s/o Rama Ram	03-12-2003

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of death of above named in the record of concerned Gram Panchayat Greema may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 13th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

किस्म मुकदमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 27-06-2025

सिमसा देवी पत्नी केसरी लाल पुत्र भवानी दास, निवासी महाल सिहोटू उपरला, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थिया सिमसा देवी पत्नी केसरी लाल पुत्र भवानी दास, निवासी महाल सिहोटू उपरला, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए कि प्रार्थिया का सही नाम सिमसा देवी पत्नी केसरी लाल है, जबकि महाल सिहोटू उपरला के राजस्व अभिलेख में सहवन सिमरता देवी विधवा केसरी लाल दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल सिहोटू उपरला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दुरुस्तीकी जाकर सिमरता देवी उपनाम सिमसा देवी विधवा केसरी लाल सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-06-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकत्रफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04—07—2025

राजीव शर्मा पुत्र श्री संकृ निवासी गांव गन्डड व डाकघर मरैरा, मौजा एवं उप—तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता मोहाल गन्डड, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी मोहाल गन्डड, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राजीव शर्मा पुत्र श्री संकृ निवासी गांव गन्डड व डाकघर मरैरा, मौजा एवं
उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका
सही नाम राजीव शर्मा है, परन्तु महाल गन्डड के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संकृ है, जोकि गलत है,
जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों पर राजीव शर्मा अंकित है। प्रार्थी महाल गन्डड, उप—तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को
प्रार्थी का नाम संकृ उपनाम राजीव शर्मा दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने
हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04—07—2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में
असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार
कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04—07—2025

राज कुमार पुत्र श्री जती राम, निवासी गांव व डाकघर बालकरुपी एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला
कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता मोहाल हार बालकरुपी, छैटी, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी मोहाल बालकरुपी, छैटी, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राज कुमार पुत्र श्री जती राम, निवासी गांव व डाकघर बालकरुपी एवं
उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके

पिता का सही नाम जती राम है, परन्तु महाल हार बालकरुपी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जतो राम है, जोकि गलत है, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों पर जती राम अंकित है। प्रार्थी के पिता का नाम महाल हार बालकरुपी, छैटी, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हिंदूप्र० के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम हार बालकरुपी में जतो राम उपनाम जती राम व महाल छैटी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जतो उपनाम जती राम करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हिंदूप्र०)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा
(हिंदूप्र०)**

मुकद्दमा नं० : 07 / NT / 2025

किस्म मुकद्दमा: नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-06-2025

अमीत कुमार पुत्र प्रताप चन्द पुत्र रौनकी, निवासी बन्दला खास (नघीर), तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हिंदू प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी अमीत कुमार पुत्र प्रताप चन्द पुत्र रौनकी, निवासी बन्दला खास (नघीर), तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हिंदू प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रार्थी के पिता का असल नाम प्रताप चन्द पुत्र रौनकी है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड महाल भयार में बाबू राम पुत्र रौनकी दर्ज है, जोकि गलत है। अब प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-06-2025 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हिंदू प्र०)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी पालमपुर, जिला कांगड़ा
(हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 06 / NT / 2025

किस्म मुकद्दमा: नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24—06—2025

प्रशोतम चन्द पुत्र वजीर चन्द, निवासी मलेन्ता, डा० कण्डी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी प्रशोतम चन्द पुत्र वजीर चन्द, निवासी मलेन्ता, डा० कण्डी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रार्थी का असल नाम प्रशोतम चन्द पुत्र वजीर पुत्र लोहिया है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड महाल कथेना में किशोरी पुत्र वजीर पुत्र लोहला दर्ज है जोकि गलत है। प्रशोतम चन्द व किशोरी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अब प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24—06—2025 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22—05—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 59 / NT/2025

तारीख पेशी : 24—06—2025

सीमा देवी पुत्री पुर्ण चन्द, निवासी गांव कुण्डन, डाकघर जीया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया सीमा देवी पुत्री पुर्ण चन्द, निवासी गांव कुण्डन, डाकघर जीया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव व डा० जीया, तहसील पालमपुर में दिनांक 01—01—1984 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत बड़सर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 24–06–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत बड़सर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 70 / NT/2025

तारीख पेशी : 26–06–2025

अंजना देवी पुत्री आत्मा राम हाल पत्नी सुरेश शर्मा, निवासी वार्ड नं० 5, गांव दरगील, डाकघर दयोग्रां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया अंजना देवी पुत्री आत्मा राम हाल पत्नी सुरेश शर्मा, निवासी वार्ड नं० 5, गांव दरगील, डाकघर दयोग्रां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव मौलीच्चक, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० में दिनांक 05–07–1967 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत मौलीच्चक के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 26–06–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत मौलीच्चक को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–06–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पूह, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ (हि०प्र०)

श्री देवा नन्द सुपुत्र स्व० श्री हीरा लाल, निवासी ग्राम व डा० रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता ग्राम रोपा

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की जेरे धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री देवा नन्द सुपुत्र स्व0 श्री हीरा लाल, निवासी ग्राम व डा० रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने जिला पंजीयक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला किन्नौर के माध्यम से अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत रोपा, तहसील पूह के अभिलेख में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1966 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सचिव ग्राम पंचायत रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थी चाहता है कि उसकी जन्म तिथि के इन्द्राज बारे सचिव ग्राम पंचायत रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर को आदेश पारित किए जावें।

अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर व आम जनता/स्थानीय निवासीगण गांव रोपा को बजरिया अदालती इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी श्री देवा नन्द सुपुत्र स्व0 श्री हीरा लाल, निवासी ग्राम व डा० रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 01-07-1966 के इन्द्राज बारे कोई एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराजएक माह के भीतर हाजिर अदालत आकर असालतन या वकालत दायर कर सकता है इसके उपरांत प्राप्त होने वाला कोई भी एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
अति० जिला दण्डाधिकारी,
पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पूह, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ (हि०प्र०)

श्री आकाश कुमार सुपुत्र श्री राज कुमार, निवासी ग्राम व डा० पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता ग्राम पूह

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की जेरे धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री आकाश कुमार सुपुत्र श्री राज कुमार, निवासी ग्राम व डा० पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने जिला पंजीयक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला किन्नौर के माध्यम से अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पूह, के अभिलेख में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि उसका जन्म दिनांक 28-08-2000 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सचिव ग्राम पंचायत पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थी चाहता है कि उसकी जन्म तिथि के इन्द्राज बारे सचिव ग्राम पंचायत पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर को आदेश पारित किए जावें।

अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर व आम जनता/स्थानीय निवासीगण गांव पूह को बजरिया अदालती इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी आकाश कुमार सुपुत्र श्री राज कुमार, निवासी ग्राम व डाठ पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 28-08-2000 के इन्द्राज बारे कोई एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज एक माह के भीतर हाजिर अदालत आकर असालतन या वकालत दायर कर सकता है इसके उपरांत प्राप्त होने वाला कोई भी एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदन पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
अति० जिला दण्डाधिकारी,
पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पूह, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ (हि०प्र०)

श्रीमती अमृत सीता सुपुत्री स्व० श्री टेक सिंह, निवासी ग्राम व डाठ रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता ग्राम रोपा

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की जेरे धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती अमृत सीता सुपुत्री स्व० श्री टेक सिंह, निवासी ग्राम व डाठ रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने जिला पंजीयक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला किन्नौर के माध्यम से अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत रोपा, तहसील पूह के अभिलेख में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1959 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सचिव ग्राम पंचायत रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थी चाहता है की उसकी जन्म तिथि के इन्द्राज बारे सचिव ग्राम पंचायत रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर को आदेश पारित किए जावें।

अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत रोपा, तहसील पूह, जिला किन्नौर व आम जनता/स्थानीय निवासीगण गांव रोपा को बजरिया अदालती इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थिया श्रीमती अमृत सीता सुपुत्री स्व० श्री टेक सिंह, निवासी ग्राम व डाठ रोपा, की जन्म तिथि 01-07-1959 के इन्द्राज बारे कोई एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज भीतर एक माह के भीतर हाजिर अदालत आकर असालतन या वकालत दायर कर सकता है इसके उपरांत प्राप्त होने वाला कोई भी एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
अति० जिला दण्डाधिकारी,
पूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेन्द्र सिंह गुलेरिया सुपुत्र श्री ठाकुर सिंह, निवासी कलोट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राजेन्द्र सिंह गुलेरिया है व उसके पिता का सही नाम ठाकुर सिंह है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत रखोह के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कलोट में गलती से उसका नाम राजेन्द्र कुमार व पिता का नाम ठाकर दयाल दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी व उसके पिता के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

**हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।**

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी ब्राड़ता, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम विनोद कुमार है, जोकि उसके स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत रिस्सा के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ब्राड़ता में गलती से मनोज कुमार है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कुमारी सौंदर्य ठाकुर सुपुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी दमसेहडा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि०प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सौंदर्य ठाकुर है, जोकि उसके स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत परसदा हवाणी के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल दमसेहडा व सिम्बल कोठी में गलती से कुमारी संध्या देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

समक्ष वरुण गुलाटी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार करसोग, जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नं० : २

तारीख मरजुआ : 03-06-2025

तारीख पेशी : 03-07-2025

धर्म सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी मझास, डाकखाना व तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) हि०प्र० जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम।

धर्म सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी मज्जास, डाकखाना व तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का आवेदन—पत्र जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी के माध्यम से इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ शपथ—पत्र, प्रपत्र संख्या 10, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत लोअर करसोग प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के बेटे का नाम जितेश चौहान व जन्म तिथि 07-12-2021 है किसी कारणवश/इलाकागैर होने के कारण प्रार्थी अपने बेटे के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत लोअर करसोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब प्रार्थी अपने बेटे का नाम जितेश चौहान पुत्र धर्म सिंह व जन्म तिथि 07-12-2021 ग्राम पंचायत लोअर करसोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस संदर्भ में प्रार्थी द्वारा अपने बेटे का नाम व अन्य जन्म तिथि दर्ज करने वारा जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु जिला चिकित्सा अधिकारी मण्डी के कार्यालय में आवेदन किया गया था, जिस पर जिला चिकित्सा अधिकारी मण्डी की रिपोर्ट प्रार्थना—पत्र के साथ प्राप्त हो चुकी है।

आम जनता को मश्त्री मुनादी एवं राजपत्र के प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बेटे का नाम जितेश चौहान एवं जन्म तिथि 07-12-2021 ग्राम पंचायत लोअर करसोग के जन्म पंजीकरण एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने वारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज इस अदालत में मिति 03-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकते हैं। किसी से कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर ग्राम पंचायत लोअर करसोग के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में प्रार्थी के बेटे का नाम जितेश चौहान जन्म तिथि 07-12-2021 दर्ज करवाने वारे आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
करसोग, जिला मण्डी, हिं0प्र0।

ब अदालत श्री राजवीर वर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हिं0प्र0)

मिसल नं0 : 04/एन0टी0/2025

तारीख पेशी : 09-07-2025

श्री गुरवक्ष पुत्र श्री मस्तु पुत्र रघु, निवासी मुहाल फंगवास/138, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिं0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

उनवान मुकद्दमा : राजस्व विभाग में नाम दुरुस्ती करवाने वारे।

नोटिस बनाम आम जनता

श्री गुरवक्ष पुत्र श्री मस्तु पुत्र रघु, निवासी मुहाल फंगवास/138, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिं0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि राजस्व अभिलेख मुहाल फंगवास/138, तहसील सुन्दरनगर के अभिलेख में उसका नाम टेक चंद दर्ज कर दिया है जबकि उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य समस्त कागजात में उसका नाम गुरवक्ष पुत्र मस्तु दर्ज है, जोकि सही दर्ज है। इसलिए राजस्व अभिलेख मुहाल फंगवास/138 में उसका नाम दुरुस्त किया जाए।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु मुकाम सुन्दरनगर में निधारित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारा किसी व्यक्ति या पक्ष को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-07-2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना दावा पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल फंगवास/138 में टेक चंद पुत्र मस्तु के स्थान पर टेक चंद पुत्र मस्तु उपनाम गुरबक्ष पुत्र मस्तु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
(राजवीर वर्मा),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विनय रासपा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जोगिन्द्र नगर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 11

तारीख मरजुआ : 28-05-2025

तारीख पेशी : 24-06-2025

श्रीमती पुरना देवी पुत्री श्री पीरा राम, निवासी ठारू, डाकघर ऐहजू, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

आवेदन—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पुरना देवी पुत्री श्री पीरा राम, निवासी ठारू, डाकघर ऐहजू तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन—पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी का जन्म दिनांक 24-04-1960 को हुआ है। परन्तु प्रार्थिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ऐहजू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया ने उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ऐहजू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो दिनांक 24-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता, तो इस न्यायालय में प्रार्थिया के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
(श्री विनय रासपा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री विनय रासपा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जोगिन्द्र नगर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 12

तारीख मरजुआ : 28—05—2025

तारीख पेशी : 24—06—2025

श्रीमती तारावती पुत्री श्री गोपी, निवासी डाकघर ऐहजू, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

आवेदन—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तारावती पुत्री श्री गोपी, निवासी व डाकघर ऐहजू, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन—पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी का जन्म दिनांक 02—04—1948 को हुआ है। परन्तु प्रार्थिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ऐहजू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया ने उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ऐहजू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो दिनांक 24—06—2025 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता, तो इस न्यायालय में प्रार्थिया के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
(श्री विनय रासपा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री विनय रासपा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जोगिन्द्र नगर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 10

तारीख मरजुआ : 28—05—2025

तारीख पेशी : 24—06—2025

श्री बुधि सिंह पुत्र मिनकू, निवासी भाल रिहड़ा, डाकघर सैन्थल, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

आवेदन—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बुधि सिंह पुत्र मिनकू, निवासी भाल रिहड़ा, डाकघर सैन्थल, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन—पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी का जन्म दिनांक 06–07–1943 को हुआ है। परन्तु प्रार्थी की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत चौन्तड़ा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी ने उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत चौन्तड़ा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो दिनांक 24–06–2025 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता, तो इस न्यायालय में प्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(श्री विनय रासपा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री संजीव पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप, निवासी ग्राम कुटवी पनारा, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री संजीव पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप, निवासी ग्राम कुटवी पनारा, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 23–02–2012 है जो ग्राम पंचायत/नगर पालिका नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30–06–2025 से पूर्व इस अदालत में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर आंचल की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 31–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्री कमल राज पुत्र श्री विधादत, निवासी ग्राम अणु खुरकना, डाकघर सेर तन्दुला, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री कमल राज पुत्र श्री विधादत, निवासी ग्राम अणु खुरकना, डाकघर सेर तन्दुला, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 26-10-2007 है और उसे ग्राम पंचायत सेर तन्दुला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 02-07-2025 से पूर्व इस अदालत में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर धीरज शर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 02-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : / 2025

दायर तिथि :

श्री रूप सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री रूप सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएणडडी/डिलेय केसिस/2025-2367, दिनांक 19-05-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी पौत्री की पुत्री की मृत्यु तिथि 04-11-2020 है, जिसका अज्ञानतावश मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कुंजा के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता

है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में दीक्षा पुत्री विरेन्द्र कुमार, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 02-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0)

केस नं0 : / 2025

दायर तिथि :

श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री मोहम्मद सदीक, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री मोहम्मद सदीक, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएणडडी/डिलेय केसिस/2025-1233, दिनांक 25-04-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 28-06-1981 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पुरुवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में अब्दुल रहमान पुत्र मोहम्मद सदीक, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)**

श्री रतन चन्द पुत्र झांटू राम पुत्र माठडू निवासी उप-सम्पदा पंजोला, डाकघर कोटला पंजोला,
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि०प्र०) . .वादी ।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रतन चन्द पुत्र झांटू राम पुत्र माठडू निवासी उप-सम्पदा पंजोला, डाकघर कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस कार्यालय में नाम दुरुस्ती बारा दावा दायर किया है। जमाबन्दी वर्ष 2011–2012 उप-सम्पदा कोटला पंजोला के खाता/खतौनी नम्बर 29/47 व सम्पदा कोटला पंजोला के खाता/खतौनी नम्बर 8/9 ता 14, 33/55 में प्रार्थी व पिता का नाम श्री रतन लाल पुत्र झांटू पुत्र माठडू दर्ज कागजात राजस्व अभिलेख है। मुताबिक शपथ-पत्र आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल के रतन चन्द पुत्र झांटू राम पुत्र माठडू दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज कागजात माल में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04–07–2025 तक इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 04–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकदमा श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह पुत्र भूप सिंह, गांव चिमू तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्खास्त पटवार वृत्त मिल्ला के मौजा मल्ला—मागनल के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह पुत्र भूप सिंह, गांव चिमू तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्खास्त गुजारी है। जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उनका सही नाम रविन्द्र सिंह है जबकि मौजा मिल्ला—मागनल, पटवार वृत्त मिल्ला, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रघुवीर सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र भूप सिंह बजरिया ई० नं० 3884 वरास्त द्वारा दर्ज है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मौजा मिल्ला—मागनल, पटवार वृत्त मिल्ला, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में रघुवीर सिंह के स्थान पर रविन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 18-07-2025 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा मिला—मागनल, पटवार वृत्त मिल्ला, तहसील शिलाई में रघुवीर सिंह पुत्र शेर सिंह के स्थान पर रविन्द्र सिंह पुत्र भूप सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकदमा श्री भगवान सिंह व दिनेश पुत्रगण व श्रीमती श्यामा देवी पुत्री व श्रीमती सुन्दला विधवा श्री चैलिया राम पुत्र श्री दुली, गांव कान्डी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्यास्त पटवार वृत्त गंगटोली के मौजा कुहन्ट के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री भगवान सिंह व दिनेश पुत्रगण व श्रीमती श्यामा देवी पुत्री व श्रीमती सुन्दला विधवा श्री चैलिया राम पुत्र श्री दुली, गांव कान्डी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्यास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थीगण ने दावा किया है कि उनके पिता/पति का सही नाम चैलिया राम पुत्र दुली है जबकि मौजा कुहन्ट, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उनके पिता/पति का नाम श्री जीवलू पुत्र दुली दर्ज है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थीगण दुरुस्त करवाना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिया के पिता/पति का नाम मौजा कुहन्ट, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में जीवलू पुत्र दुली के स्थान पर चैलिया राम पुत्र दुली दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 18-07-2025 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा कुहन्ट, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई में जीवलू पुत्र दुली के स्थान पर चैलिया राम पुत्र दुली दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

मिसल नं० : 08 / 2025

तारीख मरजुआ : 27-05-2025

श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री मान सिंह व नारदा देवी, निवासी ग्राम धाईला देवठी, ग्राम पंचायत राणाघाट, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री मान सिंह व नारदा देवी, निवासी ग्राम धाईला देवठी, ग्राम पंचायत राणाघाट, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत राणाघाट के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उनका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैरहाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदिका के अनुसार उनका जन्म दिनांक 27-02-1979 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत राणाघाट के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कौशल्या देवी पुत्री मान सिंह व नारदा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राणाघाट में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव ग्राम पंचायत राणाघाट को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

मिसल नं० : 09 / 2025

तारीख मरजुआ : 27-05-2025

श्रीमती गीता देवी पुत्री मान सिंह व नारदा देवी, निवासी ग्राम धाईला देवठी, ग्राम पंचायत राणाघाट, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती गीता देवी पुत्री मान सिंह व नारदा देवी, निवासी ग्राम धाईला देवठी, ग्राम पंचायत राणाघाट, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत राणाघाट के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उनका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैरहाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदिका के अनुसार उनका जन्म दिनांक 30—01—1977 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत राणाघाट के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गीता देवी पुत्री मान सिंह व नारदा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राणाघाट में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव ग्राम पंचायत राणाघाट को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27—05—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं ना० तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

मिसल नं० : 10 / 2025

तारीख मरजुआ : 27—05—2025

श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री नरता राम व सत्या देवी, निवासी ग्राम मतियाना धनेच, ग्राम पंचायत करगाणू तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री नरता राम व सत्या देवी, निवासी ग्राम मतियाना धनेच, ग्राम पंचायत करगाणू तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत करगाणू के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उनका जन्म घर पर ही हुआ, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैरहाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदिका के अनुसार उनका जन्म दिनांक 07—10—1971 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत करगाणू के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को संतोष कुमारी पुत्री नरता राम व सत्या देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत करगाणू में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव ग्राम पंचायत करगाणू को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं ना० तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)**

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी गांव सलानी, डाकघर सैनवाला, ग्राम पंचायत वर्मा पापड़ी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

प्रार्थी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी गांव सलानी, डाकघर सैनवाला, ग्राम पंचायत वर्मा पापड़ी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-13144, दिनांक 15-03-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के व्यान हल्फी, फार्म नं 10, अस्पताल डिस्चार्ज पर्ची एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उनके पुत्र हरजोत सिंह की जन्म तिथि 02-06-2020 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत सलानी कटोला तहसील नाहन में दर्ज न करवा सकते। परन्तु अब वह अपने पुत्र हरजोत सिंह की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि० प्र० में दर्ज करवाना चाहता है, क्योंकि उनके पुत्र का जन्म स्वास्थ्य विभाग के वाहन 108 में हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह के पुत्र हरजोत सिंह की जन्म तिथि 02-06-2020 नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 03-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

मिसल नं० : 07 / 2025

तारीख मरजुआ : 17—05—2025

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री फुला सिंह व सुनपा देवी, निवासी नानू डाकघर व ग्राम पंचायत डिम्बर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री फुला सिंह व सुनपा देवी, निवासी नानू डाकघर व ग्राम पंचायत डिम्बर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत डिम्बर के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उनका जन्म घर पर ही हुआ, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैरहाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं हो सका। आवेदक के अनुसार उनका जन्म दिनांक 02—02—1968 को हुआ है। सायल ने ग्रम पंचायत डिम्बर के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सुखदेव सिंह पुत्र फुला सिंह व सुनपा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डिम्बर में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव ग्राम पंचायत डिम्बर को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19—05—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसीलदार/नायबतहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री दुनी चन्द पुत्र स्व० श्री सरफू राम, निवासी गांव काटल मण्डलाहां, डाकघर जामटा एवं ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री दुनी चन्द पुत्र स्व० श्री सरफू राम, निवासी गांव काटल मण्डलाहां, डाकघर जामटा एवं ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-1901, दिनांक 08-05-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना व्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के व्यान हल्फी, स्कूल प्रमाण-पत्र, प्रति पासपोर्ट, नकल परिवार रजिस्टर आदि रिपोर्ट ग्राम पंचायत नावणी कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 18-09-1967 है जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिं0प्र० में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 27-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री दुनी चन्द्र पुत्र स्व० श्री सरफू राम, निवासी गांव काटल मण्डलाहों, डाकघर जामटा एवं ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हिं0प्र०) की जन्म तिथि 18-09-1967 ग्राम पंचायत नावणी तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिं0प्र० में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 27-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार नायबतहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हिं0प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायबतहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हिं0प्र०)

श्री शिवा जोशी पुत्र श्री चन्द्र बहादुर जोशी, निवासी मकान नं० 328/07, अप्पर स्ट्रीट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हिं0प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री शिवा जोशी पुत्र श्री चन्द्र बहादुर जोशी, निवासी मकान नं० 328/07, अप्पर स्ट्रीट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हिं0प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-10895, दिनांक 31-01-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना व्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के व्यान हल्फी, स्कूल प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट पार्षद वार्ड नम्बर 07 कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनकी पुत्री रितिका की जन्म तिथि 15-09-2007 है जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी पुत्री रितिका की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिं0प्र० में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 27-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री शिवा चौधरी पुत्र श्री चन्द्र बहादुर जोशी, निवासी मकान नं० 328/07, अप्पर स्ट्रीट नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हिं0प्र०) की पुत्री रितिका की जन्म तिथि 15-09-2007 नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिं0प्र० में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 27-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार नायबतहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

केस नं० : / 2025

दायर तिथि :

श्री अमरनाथ पुत्र बीरवल, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री अमरनाथ पुत्र बीरवल, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025-2428, दिनांक 21-05-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 18-04-1965 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री अमरनाथ पुत्र बीरवल, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब—तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री राम लाल पुत्र श्री चेत्राम, निवासी गांव जंगलाभूड़, डाकघर एवं ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री राम लाल पुत्र श्री चेतराम, निवासी गांव जंगलाभूड़, डाकघर एवं ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/delayed Cases/2025-2429, दिनांक 21-05-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना व्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के व्यान हल्फी, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 08-04-1965 है जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 28-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री राम लाल पुत्र श्री चेतराम, निवासी गांव जंगलाभूड़, डाकघर एवं ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 08-04-1965 ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब—तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब—तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह, निवासी गांव भुडडीयो, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह, निवासी गांव भुडडीयो, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/delayed Cases/2025-2363, दिनांक 19-05-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना व्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के व्यान हल्फी, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 06-03-2000 है जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 28-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजरया एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री विपिन कुमार पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह, निवासी गांव भुडडीयो, नाहन,

तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 06-03-2000 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब—तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब—तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री अरुण कुमार सैणी पुत्र श्री सुन्दर लाल सैणी, निवासी मकान नम्बर 2639/09, कुम्हार गली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री अरुण कुमार सैणी पुत्र श्री सुन्दर लाल सैणी, निवासी मकान नम्बर 2639/09, कुम्हार गली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य विकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/delayed Cases/2024-11192, दिनांक 07-02-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना व्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के व्यान हल्फी, स्कूल प्रमाण—पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 15-04-1966 है। जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 28-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री अरुण कुमार सैणी पुत्र श्री सुन्दर लाल सैणी, निवासी मकान नम्बर 2639/09, कुम्हार गली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 15-04-1966 नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब—तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी गांव रामपुर, डाकघर व ग्राम पंचायत कौलांवाला भुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी गांव रामपुर, डाकघर व ग्राम पंचायत कौलांवाला भुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/delayed Cases/2025-1231, दिनांक 25-04-2025 अनुलग्नक क्रमशः आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र, दो गवाहों के शपथ-पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनुप्लब्धता प्रमाण-पत्र आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। प्रार्थना-पत्र के माध्यम से प्रार्थी ने आवेदन किया है कि वह अपनी जन्म तिथि 15-01-1980 जिसे अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कौलांवाला भुड़ के कार्यालय में समय पर दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कौलांवाला भुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी गांव रामपुर, डाकघर व ग्राम पंचायत कौलांवाला भुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 15-01-1980 ग्राम पंचायत कौलांवाला भुड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 30-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा श्रीमती प्रोमिला देवी पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गांव सरो, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

प्रोमिला देवी पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गांव सरो, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया अपने पुत्र कृष्ण चौहान का नाम व जन्म तिथि 25-01-2012 को दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत कूहट में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्की व्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूहट, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि 25-01-2012 व नाम ग्राम पंचायत कूहट, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकदमा श्री शुपा राम पुत्र स्व० थोलू राम, निवासी गांव व तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शुपा राम पुत्र स्व० थोलू राम, निवासी गांव व तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि 27-05-1990 को दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत शिलाई में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन—पत्र मय हल्फी व्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-06-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी का नाम शुपा राम पुत्र स्व० थोलू व जन्म तिथि 27-05-1990 ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा श्री बन्सी राम पुत्र स्व० जालम सिंह, निवासी गांव कूफर, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बन्सी राम पुत्र स्व० जालम सिंह, निवासी गांव कूफर, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी अपने पिता की मृत्यु पंजीकरण को दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत बान्दली में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन—पत्र मय हल्की व्याप, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-06-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता जालम सिंह पुत्र प्रेम के मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० सन्त राम, निवासी गांव बेंगाणी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० सन्त राम, निवासी गांव बेंगाणी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया ने अपने पुत्र अरुण का नाम व जन्म तिथि

24–06–2010 तथा दूसरा पुत्र कृष्ण वर्मा जिसका जन्म दिनांक 03–12–2011 को हुआ है दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत मानल में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन—पत्र मय हल्फी ब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के दोनों पुत्रों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25–06–2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के दोनों पुत्रों अरुण का नाम व जन्म तिथि 24–06–2010 तथा कृष्ण वर्मा का नाम व जन्म तिथि 03–12–2011 को ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकद्दमा सुनील शर्मा पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव भटवाड (काण्डो—भटनोल), तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्बास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

सुनील शर्मा पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव भटवाड (काण्डो—भटनोल), तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्बास्त गुजारी है कि प्रार्थी अपने पुत्र योगेश शर्मा का नाम व जन्म तिथि 17–01–2008 को दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत नावणा—भटवाड में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन—पत्र मय हल्फी ब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नावणा—भटवाड, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25–06–2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 17–01–2008 व नाम ग्राम पंचायत नावणा—भटवाड, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा श्रीमती पानो देवी पुत्री श्री झामिया राम, निवासी गांव डिमाणा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्बास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पानो देवी पुत्री श्री झामिया राम, निवासी गांव डिमाणा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्बास्त गुजारी है कि प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 06-11-1975 को दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत मानल में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फी व्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-06-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 06-11-1975 व नाम ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा श्रीमती शान्ती देवी पुत्री श्री नन्द राम, निवासी गांव काण्डो-भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शान्ती देवी पुत्री श्री नन्द राम, निवासी गांव काण्डो—भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 01—07—1964 को दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत काण्डो—भटनोल में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन—पत्र मय हल्फी व्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत काण्डो—भटनोल, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25—06—2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि 01—07—1964 व नाम ग्राम पंचायत काण्डो—भटनोल, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकदमा श्री जगपाल सिंह पुत्र स्व० श्री भादर सिंह, गांव दूडेच, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त पटवार वृत्त गंगटोली के मौजा अशयाडी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री जगपाल सिंह पुत्र स्व० श्री भादर सिंह, गांव दूडेच, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके दादा जी का सही नाम धिरजू है जबकि मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रामनाथ दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के दादा जी का नाम मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में रामनाथ के स्थान पर धिरजू दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 26—06—2025 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में

आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा अशयाडी, पटवार वृत्त गंगटोली, तहसील शिलाई में रामनाथ के स्थान पर धिरजू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा श्री खतरी राम पुत्र स्व० श्री रूप सिंह, गांव मटियाना, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त पटवार वृत्त गवाली के मौजा मानल व मटियाना के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री खतरी राम पुत्र स्व० श्री रूप सिंह, गांव मटियाना, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है। जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पिता का सही नाम स्व० रूप सिंह पुत्र सिंधा है जबकि मौजा मानल व मटियाना, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम सोभा राम पुत्र सिंधा दर्ज है जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम मौजा मानल व मटियाना, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में सोभा राम पुत्र सिंधा के स्थान पर स्व० रूप सिंह पुत्र सिंधा दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 26-06-2025 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा मानल व मटियाना, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई में सोभा राम पुत्र सिंधा के स्थान पर स्व० रूप सिंह पुत्र सिंधा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —

(मोहन लाल),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

मिसल नं० : 6 / 13(3) of 2024

तारीख मजरुआ : 09—04—2025

तारीख पेशी : 25—06—2025

प्रार्थी श्री तोता राम पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी माईला, पो.ओ. कोटी धिमान, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री तोता राम पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी माईला, पो.ओ. कोटी धिमान, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपना जन्म ग्राम पंचायत छोऊ भोगर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का जन्म मिति 06—02—1965 को ग्राम पंचायत छोऊ भोगर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत छोऊ भोगर में दर्ज न करवा सका, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे—सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 25—06—2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब—तहसीलदार तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

मिसल नं० : 15 / 13(3) of 2024

तारीख मजरुआ : 10—10—2024

तारीख पेशी : 06—05—2025

प्रार्थी श्री देश राज पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी सोडा ध्यारी, डाकघर थोर निवार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री देश राज पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी सोडा ध्यारी, डाकघर थोर निवार, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजारकर दावा किया है कि प्रार्थी अपने ताया स्व० श्री नानक राम पुत्र खेखरु की मृत्यु तिथि 02—10—2015 ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के ताया नानक राम की मृत्यु ग्राम पंचायत ददाहू में हुई थी, लेकिन वह किसी कारण आज तक उनकी मृत्यु ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज न करवा सके, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

मृत्यु दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे—सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने वारे दिनांक 27-06-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकत्रफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(सुरेश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू जिला सिरमौर (हिंप्र०)।

CHANGE OF NAME

I, Lachhman Singh s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Bhanod, Mahal Fagla, P.O. Panjalag, Tehsil Lad Bharol, District Mandi (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. 3603 4913 8499 is wrongly entered as Laxman Singh instead of Lachhman Singh. Concerned please note.

LACHHMAN SINGH
s/o Sh. Chet Ram,
r/o Village Bhanod, Mahal Fagla,
P.O. Panjalag, Tehsil Lad Bharol, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kediya s/o Sh. Sunder Singh age 53 years, r/o Village Devlahan, P.O. & Sub-Tehsil Ronhat, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that my name Kedar Singh is wrongly entered in my Aadhar Card No. 8521 8785 7735. My correct name is Kediya. All concerned please may note.

KEDIYA
s/o Sh. Sunder Singh,
r/o Village Devlahan,
P.O. & Sub-Tehsil Ronhat,
Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gauri Devi w/o Sh. Jiya Lal, r/o Tehsil Kumarsain, Village Nahal (107), P.O. Jar, Shimla (H.P.) Pin-172029 hereby declare that I have changed my name from Gauri Devi (Old Name) to Gaura (New Name). All concerned please may note.

GAURI DEVI
w/o Sh. Jiya Lal,
r/o Tehsil Kumarsain,
Village Nahal (107), P.O. Jar, Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Surat Ram s/o Sh. Lalu Ram, r/o Village Nouni, P.O. Urtoo, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) declare that my daughter's name is Vikriti wrong in the Aadhar Card. Whereas in the Panchayat records it is Devisha. Devisha name should be corrected.

SURAT RAM
s/o Sh. Lalu Ram,
r/o Village Nouni, P.O. Urtoo,
Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sahi Ram s/o Sh. Tholia age 47 years, Village Mudiayad, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Sahiya (Old Name) to Sahi Ram (New Name). All concerned please may note.

SAHI RAM
s/o Sh. Tholia
Village Mudiayad, Tehsil Shillai,
District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shabhu d/o Sh. Gopeshwar Dutt Sharma, r/o Village Kot, P.O. Kayena, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Shabhu to Shabnam Sharma for all purposes. All concerned please may note.

SHABBU
d/o Sh. Gopeshwar Dutt Sharma,
r/o Village Kot, P.O. Kayena,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shabnam Katoch d/o Sh. Naresh Katoch, r/o Village Arth, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Shabnam to Shabnam Katoch. All concerned please note.

SHABNAM KATOCH
d/o Sh. Naresh Katoch,
r/o Village Arth, P.O. Bhawarna,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bhinder Pal s/o Sh. Bhikhi Ram, r/o Village Gulai, P.O. Bharari, Tehsil Holi, District Chamba (H.P.)-176 309 declare that my daughter's name is currently written as Nancy (NANSI) which is wrong. And the correct name should be Nancy Devi. It is informed to all.

BHINDER PAL
s/o Sh. Bhikhi Ram,
r/o Village Gulai, P.O. Bharari,
Tehsil Holi, District Chamba (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, योनतन जगमो पत्नी भीम सेन, वी०पी०ओ० रिब्बा, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर (हि०प्र०) यह घोषणा करती हूं कि मेरे पुत्र Honey Negi का नाम आधार कार्ड नं० 5787 3777 8588 में Hani Singh दर्ज है। जोकि गलत है, उसका सही नाम Honey Negi है। संबंधित रिकार्ड में दर्ज किया जाए।

योनतन जगमो
पत्नी भीम सेन,
वी०पी०ओ० रिब्बा, तहसील मूरंग,
जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

CORRECTION OF NAME

I, Balwant s/o Sh. Gopal Singh, r/o Village Jabrog, P.O. Andheri, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Valmant which should be corrected as Balwant. Please correct this.

BALWANT
s/o Sh. Gopal Singh,
r/o Village Jabrog, P.O. Andheri,
Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).